न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–131 / 2022

1 धर्मपाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 मोहनीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

1 सुखदेव सिंह पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी 3 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 बंशीदेवी पत्नी रतीराम जाति जाट निवासी 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3 सुनिता पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4 अनिता पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 विद्वान अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल वादीगण की ओर से
2 पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 03.11.2022

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम से चक 5 केएलडी 'सीएडी' के मु0नं0 236 / 24 के किला नं0 4, 5 प्रत्येक में 0.2529 है0, किला नं0 6 / 1 में 0.1265 है0, 6 / 2 में 0.1265 है0 7, 14 ता 17, 24 व 25 प्रत्येक में 0.2529 है0, व मु0नं0 236 / 32 के किला नं0 236 / 32 के किला नं0 1 / 2 में 0.2276 है0, 2 ता 4 प्रत्येक में 0.2529 है, 10 / 1 में 0.2276 है0 इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की कुल तादादी 3.7430 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं0 1 का रकबा मु0नं0 236 / 23 वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के रकबे के [illegible] हुआ है। प्रतिवादी सं0 1 , वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की भूमि [illegible]कृत प्रवेश कर अतिक्रमण करने के फिराक में है। अतः वाद [illegible]रनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की कब्जाकाश्त उक्त खातेदारी शुदा भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दखलअन्दाजी नहीं करें ना ही कोई ऐसा कृ[illegible] अकृत्य करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, क[illegible]काश्त, उपयोग–उपभो[illegible] फसली लाभों पर बेजा असर पड़े।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:13:32 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी सं0 1 को तलवी हेतु जरिये रजि0ए0डी0 समन/नोटिस भिजवाने पर उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि चिरनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के कब्जाकाश्त खातेदारी शुदा भूमि चक 5 केएलडी के मु0नं0 236/24 व 236/32 की कुल 3.7430 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड में दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े और वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रकबे की जमाबंदी अनुसार उक्त रकबा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की के नाम खातेदारी एवं संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इसलिए वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद धारा 188 आरटीएक्ट में प्रदत्त प्रावधानों व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा चिरनिषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के कब्जाकाश्त खातेदारी शुदा भूमि चक 5 केएलडी के मु0नं0 236/24 व 236/32 की कुल 3.7430 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड में दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही कोई ऐसा कृत्य या अकृत्य करे या करावें जिससे वादी के हक–हकूकों, कब्जाकाश्त, उपयोग–उपभोग एवं फसली लाभों पर बेजा असर पड़े। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:13:32 IST
Reason: SelfAttested